संख्या-3/2016/202जेड/6-सा-1-2016-22जी/15

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 29 फरवरी, 2016

विषय:- 1857 के गदर के महान् सेनानी स्व0 श्री तात्या टोपे के भतीजे श्री नारायण राव टोपे के दत्तक पुत्र श्री विनायक राव टोपे को अनुकम्पा भत्ते की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3181जेड-6-90-2(2)/90, दिनांक-17 सितम्बर, 1991 एवं संख्या-2016जेड-6-97-2(2)/90, दिनांक-06 दिसम्बर, 1997 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्री विनायक राव टोपे को अनुमन्य अनुकम्पा भत्ता रू0 200/- को पुनरीक्षित करते हुए रू0 1500/- (रू0 एक हजार पॉच सौ मात्र) अनुकम्पा भत्ता प्रतिमाह दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त वृद्धि आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

3- उक्त व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107- स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशनें-33-पेंशन/आनुतोषिक" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-12-183/दस-2016, दिनांक-24 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कोषाधिकारी, कानपुर नगर ।
2-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
3- श्री विनायक राव टोपे, "तात्या टोपे भवन" लवकुश नगर, बिठूर, कानपुर नगर को उनके पत्र दिनांक-29.06.2015 के सन्दर्भ में।
4- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in